

कार्यालय अध्यक्ष, खण्डीय फीस विनियामक समिति, मिनी सचिवालय, जयपुर

:: आदेश ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच जयपुर एकलपीठ द्वारा याचिका सं. 3791/2022, स्टूडेंट पेरेन्ट्स एसोसिएशन बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 22.04.2022 को निर्णय पारित किया गया *"Indisputably, the petitioner has an efficacious and alternative remedy under Section 9 of the Act of 2016 by approaching the Divisional Fee Regulatory Committee as the learned counsel for the petitioner fairly admits that it is a part of the Teachers-Parents Association. Even otherwise also, this Court is not expected to conduct forensic auditing of the balance sheets and income and expenditure sheets of the year 2017-18 onwards as prayed in the relief clause to unearth alleged misappropriation of funds, in its writ jurisdiction. In view thereof, the writ petition is dismissed for availability of an alternative and efficacious remedy to the petitioner under Section 9 of the Act of 2016."* "जिसे" स्टूडेंट पेरेन्ट्स एसोसिएशन द्वारा डीबी स्पेशल अपील सं. 574/2022 के द्वारा चुनौती दी गयी किन्तु डिवीजन बेंच द्वारा एकलपीठ के निर्णय को यथावत रखा गया।

राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम-2016 एवं नियम 2017 के तहत 2017-18 से आज दिनांक तक विद्यार्थियों से ली गई अतिरिक्त अवैधानिक फीस लौटाने के संबंध में स्टूडेंट - पेरेन्ट्स एसोसिएशन द्वारा ज्ञापन दिनांक 21.06.2023 द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रत्यर्थी भारतीय विद्याभवन विद्याश्रम संस्था द्वारा बिना फीस एक्ट की पालना किये 2017 से अधिक वसूली गयी फीस को लौटाने की प्रार्थना की गयी।

इस क्रम में प्रधानाचार्य/सचिव, भारतीय विद्या भवन, विद्याश्रम स्कूल, जयपुर विद्यालय प्रशासन द्वारा राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम - 2016 के प्रावधानों के विरुद्ध छात्रों से ली गई अतिरिक्त फीस लौटाने के सम्बन्ध में खण्डीय फीस विनियमन समिति की दिनांक 30.10.2023 को आयोजित बैठक में समस्त प्रकरण की बिन्दुवार समीक्षा की गई। अभिभावक संघ एवं विद्यालय के द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त दस्तावेज एवं माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों तथा समिति के समक्ष रखे गये प्रत्येक दस्तावेज एवं बिन्दु का गहनता से परिशीलन करने के साथ-साथ राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम, 2016 तथा राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) नियम, 2017 का अध्ययन करने के उपरान्त आदेश दिनांक तत्कालीन संभागीय आयुक्त पदेन अध्यक्ष खण्डीय फीस विनियामक समिति जयपुर द्वारा दिनांक 23.11.2023 को निम्न निर्णय पारित किया गया ***"अतः समस्त प्रकरण की बिन्दुवार समीक्षा के उपरान्त अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में खण्डीय फीस विनियामक समिति के द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि :-***

1. भारतीय विद्या भवन, विद्या आश्रम, स्कूल, के.एम. मुन्शी मार्ग जयपुर को जरिये विद्यालय प्रशासन आदेशित किया जाता है कि वर्तमान में अध्ययनरत विद्यार्थियों की 2017-18 से आज दिनांक तक (जिनसे अतिरिक्त फीस ली गई है) को आगामी माह में अतिरिक्त ली गई फीस का समायोजन किया जावे।
2. जो विद्यार्थी विद्यालय से टी.सी. प्राप्त कर जा चुके हैं, ऐसे छात्रों की अतिरिक्त ली गई फीस भी आदेश जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में लौटाई जावें।

उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित की जाकर अवगत कराया जावे।"

दिनांक 23.01.2023 के निर्णय को प्रत्यर्थी संस्था द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका सं. 5677/2024 भारतीय विद्या भवन, विद्या आश्रम, स्कूल, के.एम. मुन्शी मार्ग जयपुर बनाम सरकार में चुनौती दी गयी जिस पर माननीय एकलपीठ द्वारा 20.05.2024 के निर्णय से रिवीजन फीस कमेटी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का निर्णय दिया।

रिवीजन फीस कमेटी द्वारा दिनांक 20.06.2025 के आदेश द्वारा प्रकरण को खण्डीय फीस विनियामक समिति को रिमांड किया जाकर अधिकतम 2 मास में दोनों पक्षों को सुनवायी का समुचित अवसर देते हुये अधिकतम 2 महीने में इसका निस्तारण करने का निर्देश दिया साथ ही निर्णय लिये जाने तक यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया।

दिनांक 06.08.2025 को खण्डीय फीस विनियामक समिति की बैठक आयोजित की गयी जिसमें श्री आर. सी. जैन (मानद निदेशक) प्रत्यर्थी संस्था भारतीय विद्याश्रम स्कूल जयपुर तथा श्री संदीप कुमार, स्टूडेंट पेरेन्ट्स एसोसिएशन की तरफ से उपस्थित रहे अपने अपने पक्ष प्रस्तुत किये।

श्री संदीप कुमार (अपीलार्थी पक्ष) द्वारा फीस एक्ट 2016 व नियम 2017 के प्रावधानों की पालना किये बिना फीस वृद्धि को अनुचित बताया। श्री संदीप कुमार द्वारा अपने पक्ष में निम्न तथ्य बताये गये:-

विद्यालय द्वारा ना तो फीस एक्ट 2016 की धारा 4 (1) (क) के अनुसार अध्यापक - अभिभावक संगम का निर्माण किया गया ना ही फीस एक्ट 2016 की धारा 4 (2) (क) के अनुसार विद्यालय स्तरीय फीस समिति का निर्माण किया गया। अतः संस्था द्वारा बिना विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन किये किसी भी प्रकार की फीस वृद्धि अवैध व अनुचित होती है।

प्रत्यर्थी पक्ष की तरफ से उपस्थित श्री आर. सी. जैन (मानद निदेशक) द्वारा सत्र 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के फीस निर्धारण को उचित ठहराने का प्रयास किया श्री जैन द्वारा अपने पक्ष में निम्न तर्क दिये।

1. संस्था द्वारा 19.10.2020 को विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन करना बताया तथा खण्डीय विकास समिति का नोटिफिकेशन कर गठन 03.05.2023 को करना बताया।
2. सातवें वेतनआयोग की सिफारिशें लागू होने के कारण कर्मचारियों की वेतन वृद्धि होना बताया।
3. यह तर्क दिया गया कि अगर विद्यालय स्तरीय फीस समिति कमेटी अगर फीस तय करने में विफल रहती है तो प्रकरण को खण्डीय फीस विनियामक समिति को भेजा जाये व खण्डीय फीस विनियामक समिति का निर्णय होने तक पूर्व वर्ष की दस प्रतिशत फीस वृद्धि अन्तरिम रूप से की जा सकेगी।
4. संस्था ने फीस एक्ट 2016 के प्रावधानों की वैधता को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दिये जाने के कारण निर्धारित समय में विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन न होना बताया।

श्री संदीप कुमार (अपीलार्थी पक्ष) द्वारा प्रत्यर्थी पक्ष के इस तर्क का विरोध किया कि विद्यालय स्तरीय फीस समिति कमेटी अगर फीस तय करने में विफल रहती है तो प्रकरण को खण्डीय फीस विनियामक समिति को भेजा जाये। यह तर्क तब लागू होता है जब विद्यालय स्तरीय फीस समिति कमेटी के सदस्यों में फीस निर्धारण पर विरोध हो, जबकि प्रस्तुत प्रकरण में संस्था द्वारा विद्यालय स्तरीय फीस समिति का निर्माण ही नहीं किया गया। अतः किसी भी प्रकार की फीस वृद्धि पूरी तरह अनुचित है।

खण्डीय फीस विनियामक समिति द्वारा दोनों पक्षों को सुना गया, तथ्यों का परीक्षण फीस एक्ट 2016 व नियम 2017 के प्रावधानों के तहत किया गया।

राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम - 2016 दिनांक 26.04.2016 एवं नियम 2017 दिनांक 14.02.2017 से प्रवृत्त किये गये। फीस एक्ट 2016 के संबंधित प्रावधान निम्नानुसार है:-

- सेक्शन (3) अधिक फीस के संग्रहण का प्रतिषेध - कोई विद्यालय स्वयं या इसके निमित्त इस अधिनियम के अधीन नियत या अनुमोदित फीस से अधिक कोई फीस संगृहित नहीं करेगा।
- सेक्शन (4) माता-पिता-अध्यापक संगम - (1) (क) प्रत्येक निजी विद्यालय माता-पिता-अध्यापक संगम का गठन करेगा।

- (4) (1) (ख) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष का आरम्भ से तीस दिवस के भीतर-भीतर विद्यालय के मुखिया द्वारा माता-पिता-अध्यापक संगम गठित किया जायेगा। विद्यालय का प्रत्येक अध्यापक और विद्यालय के प्रत्येक छात्र का माता-पिता-अध्यापक संगम का सदस्य होगा और ऐसे संगम के प्रत्येक सदस्य से नगरीय क्षेत्र की दशा में पचास रुपये और ग्रामीण क्षेत्र की दशा में बीस रुपये वार्षिक रकम संगृहित की जायेगी।

(4) (1) (ग) माता-पिता-अध्यापक संगम का गठन हो जाने पर, विद्यालय स्तरीय फीस समिति गठित करने के लिए इच्छुक माता-पिता की लॉटरी, उनका लॉट निकालकर आयोजित की जायेगी और ऐसी लॉटरी के एक सप्ताह पूर्व माता-पिता-अध्यापक संगम के सदस्य को नोटिस दिया जायेगा।

(4) (2) (क) विद्यालय स्तरीय फीस समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

(1)	अध्यक्ष	—	ऐसे प्रबंध द्वारा नामनिर्दिष्ट निजी विद्यालय के प्रबंध का प्रतिनिधि।
(2)	सचिव	—	निजी विद्यालय का प्रधानाचार्य
(3)	सदस्य	—	निजी विद्यालय के प्रबंध द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन अध्यापक
(4)	सदस्य	—	माता-पिता-अध्यापक संगम से पांच माता-पिता

(ख) विद्यालय स्तरीय फीस समिति के सदस्यों की सूची विद्यालय स्तरीय फीस समिति के गठन के पन्द्रह दिवस की कालावधि के भीतर- भीतर नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी और उसकी प्रति तत्काल संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को अग्रषित की जायेगी।

(ग) विद्यालय स्तरीय फीस समिति की अवधि एक शैक्षणिक वर्ष के लिए होगी और कोई सदस्य माता-पिता विद्यालय स्तरीय फीस समिति के सदस्य के रूप में उसकी अंतिम अवधि के अवसान से आगामी तीन वर्ष का कालावधि के भीतर-भीतर लॉटरी द्वारा लॉट निकाले जाने का पात्र नहीं होगा।

(घ) विद्यालय स्तरीय फीस समितितीन मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी। विद्यालय स्तरीय फीस समिति की बैठक करने के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जाये।

(ङ.) माता-पिता-अध्यापक संगम की साधारण बैठक प्रति वर्ष 15 अगस्त से पूर्व कम से कम एक बार होगी। माता-पिता-अध्यापक संगम की बैठक करने के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाये। माता-पिता-अध्यापक संगम ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम के अधीन उसको समनुदिष्ट किये जायें और जो विहित किये जाये।

सेक्शन-6 निजी विद्यालयों में फीस का विनियमन-

(1) निजी विद्यालयों का प्रबंध ऐसे विद्यालयों में फीस प्रस्तावित करने के लिए सक्षम होगा।

(2) विद्यालय स्तरीय फीस समिति के गठन पर प्रबंध, आगामी शैक्षणिक वर्ष के प्रारम्भ से कम से कम छह मास पूर्व सुसंगत अभिलेख सहित प्रस्तावित फीस के ब्यौरे विद्यालय स्तरीय फीस समिति को इसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा। अनुमोदन देते समय विद्यालय स्तरीय फीस समिति को नये सिरों से फीस की रकम विनिश्चित करने का प्राधिकार होगा।

(3) धारा 8 के अधीन अधिकथित समस्त सुसंगत कारकों पर विचार करने पश्चात्, विद्यालय स्तरीय फीस समिति उप-धारा (2) के अधीन प्रस्तावित फीस के ब्यौरे और अभिलेख की प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस की कालावधि की भीतर-भीतर फीस का अनुमोदन करेगी और इस प्रकार अनुमोदित फीस के ब्यौरे तत्काल प्रबंध को लिखित में संसूचित करेगी। विद्यालय स्तरीय फीस समिति द्वारा इस प्रकार अनुमोदित फीस के ब्यौरे हिंदी, अंग्रेजी और विद्यालय के अपने - अपने माध्यम में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किये जायेंगे, और यदि ऐसे विद्यालय के स्वयं की वेबसाइट है, तो ये उस पर प्रदर्शित किये जायेंगे और **ये तीन शैक्षणिक वर्ष के लिए आबद्धकर होंगे।**

(4) विद्यालय स्तरीय फीस समिति भिन्न-भिन्न शीर्ष उपदर्शित करेगी जिनके अधीन फीस उद्धृहीत की जायेगी।

(5) यदि विद्यालय स्तरीय फीस समिति, उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर फीस विनिश्चित करने में असफल रहती है तो प्रबंध, विद्यालय स्तरीय फीस समिति को, ऐसी रीति से जो विहित की जाये, सूचना के अधीन, मामले को तत्काल खण्डीय फीस विनियामक समिति को उसके विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा। निर्देश के लंबित रहने के दौरान, खण्डीय फीस विनियामक

समिति के अंतिम विनिश्चय होने तक प्रबंध को पूर्व शैक्षणिक वर्ष की फीस में दस प्रतिशत वृद्धि करके, ऐसी फीस के संग्रहण की स्वतंत्रता होगी।

फीस एक्ट 2016 के सेक्शन 9 (5) (6) जो कि खण्डीय फीस नियामक समिति की पावर व फंक्शन से सम्बन्धित प्रावधान निम्नानुसार है।

(5) At the time of resolving the dispute, the Divisional Fee Regulatory Committee shall not grant any interim stay to the fee determined by the management. On decision in appeal or reference, the Divisional Fee Regulatory Committee may pass appropriate orders for refund of the excess fee to the student concerned. In case the management fails to refund the excess fee to such student, the Divisional Fee Regulatory Committee shall proceed to recover such excess fee from the management as an arrear of land revenue and pay the same to such student.

(6) The Divisional Fee Regulatory Committee shall, on determining the fee leviable by a private school, communicates its decision to the parties concerned.

संस्था से प्राप्त फीस का 2017-18 से 2021-22 तक प्राप्त फीस का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

Bharatiya Vidya Bhavan's Vidyashram, Jaipur															
Statement of Fee Chart from 2017-18 to 2023-24															
(Actual Fee)															
S. N.	Std.	2017-18	2018-19		2019-20		2020-21			2021-22		2022-23		2023-24	
		Fee	Fee	%	Fee	%	Fee	Fee taken due to Covid	%	Fee	%	Fee	%	Fee	%
1	LKG	69000	83600	21.16	83600	0.00	83600	54260	-35.10	83600	0.00	91960	10.00	101200	10.05
2	UKG	69000	83600	21.16	83600	0.00	83600	54260	-35.10	83600	0.00	91960	10.00	101200	10.05
3	I	68000	84000	23.53	84000	0.00	84000	57150	-31.96	84000	0.00	92400	10.00	101680	10.04
4	II	68000	84000	23.53	84000	0.00	84000	57150	-31.96	84000	0.00	92400	10.00	101680	10.04
5	III	68000	84000	23.53	84000	0.00	84000	57150	-31.96	84000	0.00	92400	10.00	101680	10.04
6	IV	68000	84000	23.53	84000	0.00	84000	57150	-31.96	84000	0.00	92400	10.00	101680	10.04
7	V	56400	84000	48.94	84000	0.00	84000	57150	-31.96	84000	0.00	92400	10.00	101680	10.04
8	VI	58200	72200	24.05	72200	0.00	72200	50540	-30.00	72200	0.00	79420	10.00	87400	10.05
9	VII	58200	72200	24.05	72200	0.00	72200	50540	-30.00	72200	0.00	79420	10.00	87400	10.05
10	VIII	58200	72200	24.05	72200	0.00	72200	50540	-30.00	72200	0.00	79420	10.00	87400	10.05
11	IX	63000	78000	23.81	78000	0.00	78000	54600	-30.00	78000	0.00	85800	10.00	94420	10.05
12	X	63000	78000	23.81	78000	0.00	78000	54600	-30.00	78000	0.00	85800	10.00	94420	10.05
13	XI	65300	80600	23.43	80600	0.00	80600	56420	-30.00	80600	0.00	88660	10.00	97560	10.04
14	XII	65300	80600	23.43	80600	0.00	80600	56420	-30.00	80600	0.00	88660	10.00	97560	10.04
Practical Subject Fee per Subject per Year for (Std.XI & XII)		4800	5600	16.67	5800	3.57	5800	0	-100	2000	-65.52	2000	0.00	2200	10

उपरोक्त तथ्यों एवं फीस एक्ट 2016 नियम 17 के प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण पर विचार कर निम्न तथ्य पाये गये।

1. संस्था द्वारा 4(1) (क) की पालना में माता-पिता अध्यापक संगम का निर्माण नहीं किया गया।
2. संस्था द्वारा 4(2) (क) के अनुसार विद्यालय स्तरीय फीस समिति का निर्माण नहीं किया। इस प्रकार संस्था द्वारा उक्त दोनों प्रावधानों की पालना किये जाने पर ही विद्यालय स्तरीय फीस समिति के मध्य फीस वृद्धि विवाद पर सेक्शन 6 (5) के अनुसार 10 प्रतिशत फीस वृद्धि कर प्रकरण को खण्डीय फीस विनियामक समिति को उसके विनिश्चय के लिए निर्देशित करती।
3. संस्था द्वारा 2017-18 की फीस को आधार मानकर 2018-19 में फीस वृद्धि बिना माता-पिता-अध्यापक संगम के निर्माण किये और बिना विद्यालय स्तरीय फीस समिति के गठन किये की है जबकि फीस विवाद की स्थिति में 4(2) (क) की पालना कर विद्यालय स्तरीय फीस समिति के मध्य विवाद की स्थिति में ही सेक्शन 6(5) के अनुसार केवल दस प्रतिशत फीस वृद्धि कर खण्डीय फीस विनियामक समिति को प्रकरण को विनिश्चय हेतु भेजा जाता। उस स्थिति में भी फीस वृद्धि 10 प्रतिशत तक ही हो पाती।
4. संस्था द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में फीस एक्ट 2016 व नियम 2017 के प्रावधानों को वाद संख्या डीबीसीडब्लू 8958/2018 के द्वारा चुनौती दी गई और दिनांक 06.03.2019 को वाद खारिज हुआ। इसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर एसएलपी (सिविल अपील संख्या 1724/21) दिनांक 03.05.2021 को खारिज हो गई।

संस्था द्वारा माता-पिता-अध्यापक संगम का निर्माण नहीं किया जाना और ना ही विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन किया जाना, पूरी तरह अवैध है।

अतः खण्डीय फीस विनियामक समिति फीस एक्ट 2016 एवं नियम 2017 के प्रावधानों व माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विचार कर सर्वसम्मति से संस्था द्वारा फीस एक्ट 2016 के प्रावधान 4 और 6 की पालना नहीं कर सत्र 2017-18 में फीस वृद्धि की गई है। संस्था की इस फीस वृद्धि को यह समिति अनुचित एवं अवैध मानकर Set aside व Quash करती है।

तथा संस्था को निर्देश देती है कि राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम-2016 एवं नियम 2017 के प्रावधानों के तहत नवीन सिर से फीस का निर्धारण कर अधिक वसूली गई फीस को सम्बन्धित को वापस करे



संजय चंद

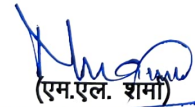
सहायक लेखाधिकारी प्रथम
कोषालय, जयपुर शहर



महेन्द्र कुमार शर्मा
उपनिदेशक, संस्कृत शिक्षा
जयपुर



मंजु शर्मा
संयुक्त निदेशक एवं उपनिदेशक,
स्कूल शिक्षा जयपुर, संभाग, (फ़ैसलपुर)

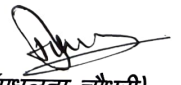


(एम.एल. शमी)
प्रधानाचार्य,
विवेकानन्द सी.सै.
स्कूल दौसा

Miraxhi Patra
(मीनाखी पात्रा)
अभिभावक



(कुंदन नरानिया)
अभिभावक



(मधुलता चौधरी)
प्रधानाचार्य, सेंट जोसेफ एकेडमी
सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, जयपुर



(पूनाम)
संभागीय आयुक्त
पदेन अध्यक्ष
खण्डीय फीस विनियामक समिति
जयपुर

क्रमांक :- संनि/स्कू.शि./जय/शैप्र/खफीविस/भारतीय विद्याभवन/2025/231 दिनांक : 11/08/2025

1. अध्यक्ष एवं शासन सचिव पुनरीक्षण समिति, शासन सचिवालय जयपुर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय, जयपुर को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
3. प्रधानाचार्य/सचिव, भारतीय विद्या भवन, विद्याश्रम स्कूल, जयपुर, के.एम. मुन्शी मार्ग, जयपुर।
4. स्टूडेंट-पेरेन्ट्स एसोसिएशन, डी-27, शांति पथ, पत्रकार कॉलोनी, जवाहर नगर, जयपुर- 302004 को पालनार्थ।
5. रक्षित पत्रावली।

पदेन सचिव
खण्डीय फीस विनियामक समिति
जयपुर